माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर
MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR
Deemed University
(Declared under Distinct Category by Ministry of Education, Government of India)
NAAC ACCREDITED WITH A++ Grade
Gola Ka Mandir, Gwalior (M.P.)- 474005, INDIA
Ph.:+91-751-2409300, E-mail: vicechancellor@mitsgwalior.in, Website: www.mitsgwalior.in

क्रमाँक :छात्र शाखा / 2025 / 164 दिनाँक :26.11.2025

आवश्यक सूचना

विषयः- अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के सत्र 2025- 26, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में।

सदर्भः-कार्यालय आयुक्त, संचालनालय के पत्र कमांक 1466 भोपाल दिनाँक 25.11.2025 ।

संस्था में नियमित अध्ययनरत एवं पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति/ जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना आवशयक हैं।

OTR हेतु विद्यार्थी का आधार नंबर, उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर OTP प्राप्त होगा और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना (NPCI active) अनिवार्य है।

संस्था में नियमित अध्यनरत अनुसूचित जाति/ जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नवीनीकरण Renewal) छात्र/छात्राओं को पुनः सूचित किया जाता है कि, जिन छात्र/छात्राओं ने सत्र 2025-26 में अपने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र, MPTAASC पोर्टल पर आंनलाईन भर दिये है । वे छात्र/छात्राये अपने आवेदन–पत्र संस्था में समस्त दस्तावेजो के साथ जमा करना सुनिशचित करे, जिससे छात्रों के आवेदन पत्रों पर संस्था स्तर की कार्यवाही पूर्ण की जा सकें।

अतः जो छात्र/छात्राएं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र संस्था में जमा नही करते है और किसी कारणवश पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता है,ऐसे में समस्त जिम्मेदारी संबंन्धित छात्र/छात्राओ की होगी ।

सूचनार्थ।

नोटः अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न दस्तावेज़ (क्रमांक 4 / शैक्ष. / ए / 2025 / काउ. / 1466, भोपाल, दिनांक 25.11.2025 का अवलोकन करें या छात्र अनुभाग से संपर्क करें।

संलग्नः- उपरोक्त अनुसार

N Paliwal 26/11/25
रजिस्ट्रार (प्रभारी)

प्रतिलिपिः
1. संचालनालय तकनीकी शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल मध्य प्रदेश 462004
2. माननीय कुलपति कार्यालय ।
3. सम कुलपति कार्यालय ।
4. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ, ताकि कक्षा समन्वयकों के माध्यम से छात्रों तक जानकारी पहुंचाई जा सके तथा संबंधित नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सके ।
5. वेब मैनेजर की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रजिस्ट्रार ।
7. समस्त सूचना पटल।
8. छात्र शाखा ।

कार्यालय आयुक्त, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश-462002
☎ 0755-2660441 dte.helpcenter@mp.gov.in

क्रमांक 4/शैक्ष./ए/2025/काउं./1466 भोपाल, दिनांक 25 / 11/2025

प्रति,

संचालक/प्राचार्य,
(MPTAASC की नोडल संस्थायें)
समस्त शासकीय/स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त
इंजीनियरिंग एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थायें, मध्यप्रदेश.

विषय:- **MPTAASC एवं NIC 2.0 के पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक सत्यापन कार्य पूर्ण करने के संबंध में।**

संदर्भ:- **1.** संचालनालयीन पत्र क्र./4/शैक्ष./एस/2025/काउं./1229, दिनांक 26/09/2025.
2. क्रमांक/4/शैक्ष./एस/2025/काउं./1202, दिनांक 17/09/2025.
3. एवं क्रमांक/4/शैक्ष./एस/2025/काउं./1264, दिनांक 09/10/2025.

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20/11/2025 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार MPTAASC एवं NIC 2.0 पोर्टल पर निर्धारित तिथि 30/11/2025 तक सत्यापन कार्य पूर्ण करने के साथ -साथ निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:-

1. समस्त संस्थायें अपना MPTAASC एवं NSP पोर्टल पर बायोमेट्रिक केवाईसी अविलंब करवाये। उक्त के अभाव में सत्र 2025-26 से विद्यार्थियों के आवेदनों को अग्रेषित/सत्यापित किया जाना संभव नहीं होगा।
2. अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का NPCI ACTIVATE करावें ।
3. वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन हेतु अंतिम तिथि 30/11/2025 एवं सत्र 2024-25 के छात्रवृत्ति आवेदनों के सत्यापन हेतु दिनांक 30/12/2025 निर्धारित की गई है। पूर्व वर्षो के लंबित प्रकरणों एवं वर्ष 2025-26 के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदनों को MPTAASC एवं NIC 2.0 पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें।
4. अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों का NSP पोर्टल पर One Time Registration (OTR) सुनिश्चित कराया जावें।
5. एक सप्ताह के पूर्व छात्र-छात्राओं को सूचना जारी कर शिविर के माध्यम से सत्र 2025-26 के Renewal आवेदन शत्-प्रतिशत भरवाये जायें ।
6. Permanent Reject होने वाले आवेदनों के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जिला कार्यालय को भेजा जाये।

पूर्व वर्षो के लंबित प्रकरणों के संबंध सीएमहेल्पलाईन शिकायतें संभावित है, अत: किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो इस हेतु कार्य समय-सीमा में संपादित करें।

Digitally signed by
Yatindra Singh Thakur
Date: 25-11-2025
12:53:16

[प्रो. (डॉ.) वाय.एस. ठाकुर]
अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 4/शैक्ष./ए/2025/काउं./1467 भोपाल, दिनांक 25 / 11/2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. **निज सहायक,** प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. **निज सहायक,** आयुक्त संचालनालय तकनीकी शिक्षा, चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

अतिरिक्त संचालक